

पत्र संख्या / एफ0टी0. 48-3702 / 2017 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171001

दिनांक शिमला-1

11 8 OCT 2022

विषय: **Diversion of 3.5271 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhadela to Andwas (Kms. 0/00 to 6/300), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (Online No. FP/HP/Road/25469/2017)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/H.P./06/14/2020/F.C./01 दिनांक 27/04/2022

के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

- 1 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय पर सहमति जताई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- 2 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय पर सहमति जताई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- 3 **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.06 हे0 गैर वानिकी भूमि/वनाच्छादित वन भूमि संख्या Salooni/Billa Beat/52 D1, Dhar Malhol in DPF में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा। प्रतिलिपि संलग्न है।

कु.पं0उ०

(ख) वन मण्डलाधिकारी द्वारा संशोधित सी0ए0 स्कीम में सही कम्पार्टमेंट/खसरा संख्या प्रस्तुत की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर भी सहमति जताई है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण/सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य:

- क) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा, प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। प्रतिलिपि संलग्न है।
6. वन मण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं सी0ए0 क्षेत्र का नाम अंकित कर दिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
7. वन मण्डलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पूर्व में किसी भी अन्य प्रस्ताव में सी0ए0 हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए0 के तहत वन भूमि के प्रत्यापन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरांत ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 141 पेड़ से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की गई है। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण लागत एवं आकस्मिक शुल्क, और शुद्ध वर्तमान मूल्य (CA=Rs.8,42,153/-+ NPV=Rs. 24,65,443/-Total.=Rs. 33,07,596/-) की राशि Adhoc-CAMPA में जमा किये गए हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।
11. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
15. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
16. वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त: लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

20. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
22. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
24. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त


नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०) हि०प्र०

PROFORMA

Sr. No.	Particulars.	Remarks.	
1.	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates.	HP/Chamba/Churah	
2.	Name of User Agency & Nature of proposal.	HPPWD- Road.	
3.	Extent of Forest Areas involved.	3.5271 ha.	
4.	Whether original or extension.	Original.	
5.	If extension of lease, pl. clarify if proposal involves addition forest area and if so specify.	-Nil-	
6.	Date of 1st stage clearance.	27-04-2020	
7.	Amount realized. (in Rs.).		
	I) Compensatory Afforestation.	842153-00	
	II) Additional CA	0	
	III) Penal CA.	0	
	IV) Catchment Area Treatment.	0	
	V) Wild Life Management Plan	0	
	VI) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected Areas.	-Nil-	
	VII) Net Present Value (NPV)	2465443-00	
	VIII) Any other charges/Levies (Please specify)		
8	Detail of Bank Drafts(Bank Draft No. Date & Amount), Head wise against items indicated in paragraph-7 above.	0	
9.	Whether deposited by RTGS, if so the particulars & date of remittance:-	UTR. No.SBIN20241626455 dated 28-08-2020	
10.	Bank(Corporation Bank, Lodhi Complex/Union Bank of India, Sundernagar) in which deposited with date of deposition.	Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi.	
11.	Any other remarks.	0	


Divisional Forest Officer,
Churah Forest Division,
Salooni

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या।)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
सडक निर्माण के लिए वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं
किया जाएगा।

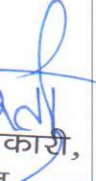
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021.

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


कमल शास्त्री,
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 2)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि को लिया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


कमल भारती,
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 3 क)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा प्रस्तावित दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 7.06 हे० Dhar Malhol DPF में ही प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और यह प्रमाणित करता हूं कि जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को ही लगाया जाएगा।

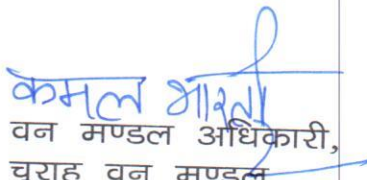
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024.


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


कमल शास्त्री
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

**E-CHALLAN**

Government Of Himachal Pradesh

Department of Finance

Treasury, Accounts & Lotteries

Valid Upto 15-Sep-2020

Remitter Copy

HIMGRN B201115042

Date 09-09-2020 03:46:32PM

Department Forest

BarCode



Period 09-09-2020 To 09-09-2020

DDO CHM03-838- DFO CHURAH DIV. SALOONI

Head

₹ Amount

0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT

140359

Total/Net Amount

140359

In words One Lakh Forty Thousand Three Hundred Fifty Nine

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN No. 02471

OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT

01/09/2020

17 SEP 2020

Remitter Name

Address:-

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No

HIMGRN

B201115042

Amount

₹ 140359

Bank

MANAGER, SBI SALOONI

Cheque-DD-No.

NIC-HP

B201115042

e-Challan (IFMS)

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 3 ख)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए सी.ए. क्षेत्र का खसरा न० ५०१/२३५/२ है

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 4)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक
वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक
वनीकरण की 10 वर्षों के अंतर्गत धनराशि 33,07,596/- बनती थी,
जमा करवा दी गई है।

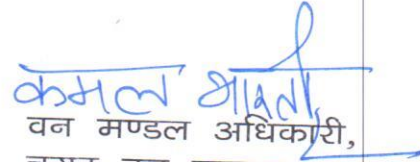
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


कमल शास्त्री,
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 5 क)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए NPV/CA राशि मु० 33,07,596/-
ऑनलाईन जमा करवा दिया गया है ।

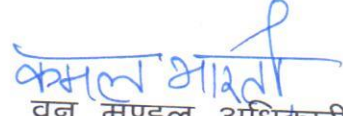
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 -


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी ।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी ।

HPTR-RTGS)
RTGS/NEFT ADVICE

57

Treasury Code C H M O 3 DDO Code 6 3 1 SDO Code 0 0

DDO/SDO Description: Executive Engineer, Salooni Division, HPPWD Salooni.

Pre-Assigned Token No. 1 9 1 1 5 5 7 4 Dated 2 8 0 8 2 0 2 0

To be directly credited to following accounts			Total Amount: 33,07,596.00			
Sr. No.	Name of Contractor/ Supplier	I.D. No.	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account Number	Amount
1.	Himachal Pradesh CAMPA	CC63110457	CORP0000371	Corporation Bank Lodhi complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I, Lodhi road, New Delhi-110003	150706125469 970	3307596.00
Total:						3307596.00

(Rupees in Words: Thirty Three Lakh Seven Thousand Five Hundred Ninety Six) only.

Ex. Engg. Salooni Division, HPPWD Salooni

(Pay Order by DDO/TO for NEFT/RTGS)

Received by _____

HPTR-RTGS

(to be filled in duplicate)

NICNET: HP

TREASURY OFFICER

Sub Treasury Salooni

Chandra 11.05.176320

2-8/8/20

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 5 ख)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए NPV/CA राशि मु० 33,07,596/-
ऑनलाईन जमा करवा दिया गया है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता
है कि यदि अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य बढता है तो विभाग उसे भी
देने के लिए तैयार है।

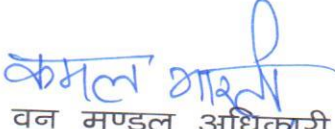
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT.
CHURAH FOREST DIVISION SALOONI, DISTT. CHAMBA.

CERTIFICATE.

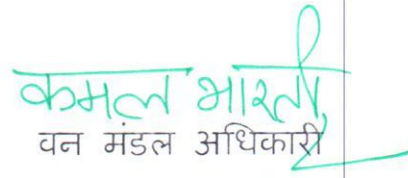
IT IS CERTIFIED THAT THE LAND PROPOSED FOR THE CA SITE UNDER THE DIVERSION OF 3.5271 HA OF FOREST LAND IN FAVOUR OF HPPWD DIVISION SALOONI FOR THE CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM BHADILLA TO ANDWAS (KMS 0/0 TO 6.300) WITHIN THE JURISDICTION OF CHURAH FOREST DIVISION SALOONI DISTRICT CHAMBA (ONLINE PROPOSAL NO. _____). THE SITE HAS BEEN INSPECTED ON DATED 14/06/2022 AND IT OBSERVED THAT THE OCULAR DENSITY OF THE AREA IS LESS THAN 0.4. THE SITE IS INFESTED WITH THE SHRUBS AND FEW TREES LIKE SUDOCACIA ETC. THE POSSIBILITY OF PLANTING AS PER NORMS OF PER HECTARE CAN BE TAKEN UP IN THE ABOVE MENTIONED AREA. THEREFORE THE PROPOSED AREA BE TREATED AS SUITABLE FOR RAISING COMPENSATORY AFFORESTRATION.


Divisional Forest Officer
Churah Forest Division
SALOONI

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

मैं वन मंडल अधिकारी वन मंडल सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अड़बास सडक निर्माण के लिए वन भूमि के बदले चयनित सी० ए० क्षेत्र का दिनांक 22-04-2022 को मौका निरिक्षण किया गया जिसमें पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपन नहीं किया गया है।

दिनांक 23.04.2022


वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सलूणी

बचन बढ़ता प्रमाण पत्र संद ब०१.

मैं वन मंडल अधिकारी वन मंडल सलूणी यह प्रमाणित करता हूँ कि भडेला से अड़बास सडक निर्माण के लिए वन भूमि के बदले चयनित सी० ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपन नहीं किया गया है।

दिनांक 25.02.2022

कमल भारती
वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 8)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जो भी
दिशा निर्देश/निर्णय लिए जाएंगे विभाग को स्वीकृत होंगे।

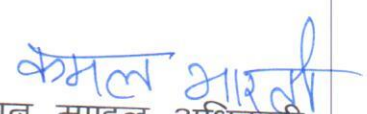
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 9)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 141 है और पेडों की कटाई की लागत यथासम्भव जमा करवाई जाएगी।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 10)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनीकरण
की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा करवाई गई है।

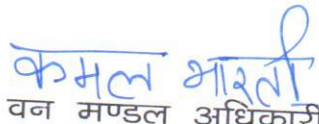
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 11)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।

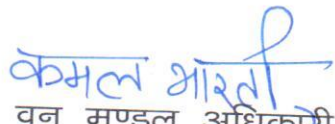
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 12)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए आईआरसी मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए पर्यासरत हैं।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024.

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 13)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सड़क निर्माण के लिए संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर
सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने के लिए पर्यासरत हैं।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 14)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के
प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वाध्य हैं।

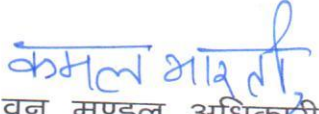
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 15)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव
का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 16)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेल से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर
स्थापित नहीं किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 17)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से ही पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन ही दिया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 18)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 19)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

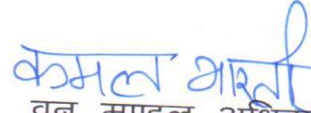
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 20)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेल से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए प्रत्यावर्तन की अवधि को पूर्ण अवधि के
साथ जो भी लक्षित होगा उसकी अनुपालना की जाएगी।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 21)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नहीं किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 22)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी
होगें विभाग द्वारा उनकी अनुपालना की जाएगी।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021-

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


कमल शास्त्री,
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 23)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन होगा।

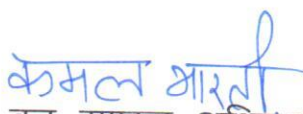
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 24)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जारी दिशानिर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 25)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेल से अंदवास तक सडक हेतू सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।